न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल जिला–नागौर

बइजलास–रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

मुकदमा नं. 61/2021

प्रार्थी :–

1. हजारीराम पुत्र सांवताराम जाति जाट निवासी खियांला तहसील जायल जिला नागौर।

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. चन्दादेवी पत्नि भंवराराम जाति जाट निवासी खियांला तहसील जायल जिला नागौर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जायल

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1. अधिवक्ता श्री मुन्नलाल मालोदिया व नरेन्द्र सिंह राठौड़ प्रार्थी की ओर से।
2. अधिवक्ता श्री मुकेश बिडियासर अप्रार्थी सं. 1 की ओर से।
3. अप्रार्थी संख्या 2 उपस्थित।

– : : निर्णय : : –

दिनांक 18/07/2022

प्रार्थना पत्र का संक्षेप में सार इस प्रकार है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र न्तर्गत धारा 251ए का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी का खातेदारी खेत मौजा खियांला के ेत ख.न. 586 रकबा 1.0279 हैक्टेयर आया हुआ है। इसके चिपता उतर–पश्चिमी दिशा में प्रार्थी सं. 1 का खेत ख.न. 587 रकबा 0.8984 हैक्टेयर आया हुआ है। तथा उसके आगे ब्रंयला से रोजा जाने वाला आम कटाणी रास्ता चलता है। प्रार्थी के खेत ख.न. 586 मे आने ाने हेतु कोई कटाणी रास्ता नहीं है। प्रार्थी के खेत मे आने जाने के लिए इस कटाणी रास्ता ा अप्रार्थी सं. 1 के खेत ख.न. 587 की दक्षिणी सीवं के अन्दर अन्दर चलकर आया जाया जा कता है। हालांकी उतरी मांठ से नजदीक पड़ता है परंतु उतरी माठ पर पानी का टांका बना आ है। इसलिय प्रार्थी द्वारा दक्षिणी माठ से रास्ते की मांग की जा रही है।

18/07/2022
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

प्रार्थी के खेत मे आने जाने कोई कटाणी रास्ता नहीं लगता है तथा ना की कोई वैकल्पिक रास्ता होने से वर्तमान मे प्रार्थी का अपने खेत मे आवागमन बन्द है। अत प्रार्थना पत्र के साथ सलग्न नजरी नक्शा मे मार्क ए बी स्थान से रास्ता घेषित किया जावें। नजरी नक्शा में प्रस्तावित रास्ता ही सबसे कम दुरी का व सबसे उपयुक्त रास्ता है जिसमें किसी अन्य रास्ते के स्थान कम कृषि भूमि रास्ते के उपयोग में काम आयेगी।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र के साथ सलग्न नजरी नक्सानुसार ख.न. 586 में आने जाने हेतु अप्रार्थी सं. 1 के खेत ख.न. 587 मे से नजरी नक्शा में दर्शाये गये रास्ता मार्क ऐ से बी तक का रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व अभिलेख में रास्ता दर्ज किये जाने बाबत आदेश प्रदान करावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 को जवाब हेतु जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 2 को हस्तगत प्रकरण में बिन्दूवार मौका रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की गई।

अप्रार्थी सं. 1 की ओर से वकील श्री मुकेश बिडियासर ने वकालतनामा पेश कर जवाब प्रार्थना पेश कथन किया कि प्रार्थी ने उतरी माठ वाले रास्ते को सबसेक कम दुरी का रास्ता होना कथन किया पर यह तथ्य गलत बताया कि उतरी माठ पर पानी का टांका निर्मित है, जबकि पानी का टांका अप्रार्थी के खेत के उतर मे स्थित ख.न. 588 मे बना हुआ है। ख.न. 587 का कनवर्जनशुदा भूमि है। प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ते के अतिरिक्त अप्रार्थी के खेत ख.न. 587 की उतरी माठ पर सबसे कम दुरी का रास्ता लगता है तथा आवासिय प्रयोजनार्थ रूपांतरित भूमि में से रास्ता नहीं दिया जा सकता है। प्रार्थी द्वारा रास्ते की मांग हेतु प्रा.पत्र पेश करने से पहले ही अप्रार्थी द्वारा संपरितर्वत हेतु आवेदन तारीख 27.09.2021 को सक्षक प्राधिकारी तहसीलदार जायल को समक्ष पेश किया जो दिनांक 18.11.2021 को संपरिवर्तन आदेश जारी हो गया। जिससे आवासीय प्रयोजनार्थ रूपांतरित भूमि मे से रास्ते नहीं दिया जावे व सबसे कम दूरी का रास्ता दक्षिणी माठ पर नही होने से भी प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित रास्ता यदि दिया जाता है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

तहसीलदार जायल द्वारा मौका रिपोर्ट दिनांक 25.10.2021 को मौके पर तैयार की जाकर प्राप्त हुई। मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के खेत ख.न. 586 में आने जाने प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजुद नहीं है। मौके पर ख.न. 587 की दक्षिणी माठ पर पक्की दीवार निकाली हुई है, तथा ख.न. 587 के तीन चारो ओर तारबंदी की हुई है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते की लम्बाई 287'12 के अनसुार 0.0318 हैक्टेयर है जिसकी भूमि की प्रचलित बाजार दर अनुसार राशि 4213 रूपये है। प्रार्थी हजारी राम के अपेन खेत मे

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

आने जाने हेतु भारी समस्या हैं। रास्ते मे किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण नहीं है जिससे रास्ता बाधित होता हो।

प्रकरण में अप्रार्थीगण सं. 1 की ओर से जवाब प्रा.पत्र एवं अप्रार्थी सं. 2 परफोर्मा पक्षकार होने से तथा हस्तगत प्रकरण अधीन धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधीनियम 1955 के तहत है जो संक्षिप्त कार्यवाही (Summary Proceeding)का होने हस्तगत प्रकरण में बहस अन्तिम हेतु तारीख नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों की पुनरावृती करते हुये कथन किया कि प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता सबसे नजदीक रास्ता है तथा इसके अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है तथा ना ही कोई कटाणी रास्ता लगता है। मौका रिपोर्ट मे भी प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित रास्ता को ही सबसे कम दुरी का रास्ता होना बताया है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी का स्वीकार किया जाकर माफिक नजरी नक्सानुसार रास्ता कायम करने के आदेश प्रदान किये जावे।

वकील अप्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थी के खेत मे आने जाने हेतु अप्रार्थी के खेत ख.न. 587 की उतरी माठ से कम दुरी का रास्ता है। जबकि प्रार्थी द्वारा दक्षिणी माठ पर से अधिक दूरी का रास्ता की मांग की गई है। उतरी माठ पर प्रार्थी के खेत के पानी का टांका निर्मित नहीं है, उक्त टांका ख.न. 588 मे बना हुआ है। अप्रार्थी की भूमि की आवासिय प्रयोजनार्थ रूपांतरित भूमि है जिसमे से रास्ता दिया जाना उचित नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

वकील प्रार्थी ने वकील प्रार्थी की बहस पर पुनःकथन किया कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी की ओर से रास्ता बाबत प्रा.पत्र पेश करने के बाद भूमि रूपांतरित करवाई गई है जिसका नामांतकरण अभी प्रक्रिया अधीन है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के खेत ख.न. 586 जिसके प्रार्थी के कथनानुसार कटाणी या वैकल्पिक रास्ता नहीं लगता है तथा प्रार्थी के खेत मे आने जाने हेतु ख.न. 587 अप्रार्थी के खेत मे से कटाणी रास्ता से फटकर ही आवगमन हेतु सबसे नजदीक रास्ता है। तहसीलदार जायल द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट मे भी प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ते को ही सबसे नजदीक एवं अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होना प्रमाणित होता है। यहां यह भी उल्लेखनिय है कि प्रार्थी द्वारा ख.न. 587 की उतरी माठ पर सबसे नजदीक रास्ता होने का कथन करते हुये कथन किया है कि उतरी माठ पर पानी का टांका निर्मित होने से उतरी माठ पर से रास्ते की मांग नहीं की गई है जबकि भू.अ.निरीक्षक की रिपोर्ट में ख.न. 587 की उतरी माठ पर किसी प्रकार का पानी का टांका निर्मित होना नहीं दर्शाया है। मौका रिपोर्ट मे यह भी कथन किया है ख.न. 587 की

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

दक्षिणी माठ पर पक्की दीवार बनी हुई है तथा तीन ओर तारबन्दी की हुई है। अप्रार्थी की ओर से ख.न. 587 की भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरण भी करवाया हुआ है।

उपरोक्त विवेचन पश्चात न्यायालय का यह मत है कि प्रार्थी द्वारा अपने खेत ख.न. 586 मे आने जाने बाबत अप्रार्थी के ख.न. 587 की दक्षिणी माठ पर से रास्ते की मांग की है जो कि उतरी माठ से अधिक लम्बाई में पडता । ख.न. 587 के तीन ओर तारबंदी की हुई तथा की दक्षिणी माठ पर पक्की दीवार बनाई हुई है जिसमे प्रार्थी का आना जाना नहीं रहा है। प्रार्थी द्वारा ख.न. 587 की दक्षिणी माठ पर रास्ते की मांग की गई है जहा पर पक्की दीवार बनी हुई है, जहां से रास्ते दिये जाने पर उक्त दीवार अप्रार्थी के खेत की जद से बाहर हो जायेगी जिससे अप्रार्थी का अपूर्णीय क्षति होगी। रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ रूपांतरित होने से भी आवसीय भूमि से रास्ता दिया जानो उचित प्रतित नहीं होता है।

– : : आदेश : : –

यत् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता एवं कृषि प्रयोजनार्थ आने व जाने अथवा संसाधनो को लाने ले जाने के लिए मार्ग का अभाव पूर्णतया सिद्ध नहीं होने तथा अधिक लम्बाई की जगह व आवासीय प्रयोजनार्थ रूपांतरित भूमि मे से रास्ते की मांग की गई है जो तकनिकी खामी की श्रेणी के तहत आने से स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

18/07/2022

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी) जायल

यह आदेश आज दिनांक 18/07/2022 को मेरे द्वारा सरे ईजलास सुनाया गया।

18/07/2022

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी) जायल